एमएमटीसी लिमिटेड

<u>कार्मिक प्रभाग</u>

<u>परिपत्र</u>

दिनांक: 03/09/2024

<u>विषय: जांच अधिकारियों (आईओ) के पैनल के लिए नियम और शर्तें</u>

एमएमटीसी लिमिटेड में विभागीय जांच करने के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त अधिकारियों और सेवारत कर्मचारियों से जांच अधिकारियों (आईओ) के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन प्रस्तुत करना

इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे हार्ड कॉपी में अपर महाप्रबंधक (का.), कारपोरेट कार्यालय, एमएमटीसी लिमिटेड को आवेदन करें।

जांच अधिकारियों के पैनल की शर्तें और नियम

1. कार्यकाल:

उपरोक्त उद्देश्य के लिए बनाया गया पैनल तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

2. पात्रता:

I) अधिकारी को ई-8 और उससे ऊपर के स्तर (डीपीई 2017 वेतनमान के अनुसार 1,20,000-2,80,000/- रुपये) या पीएसयू में समकक्ष पूर्व-संशोधित वेतनमान और उससे ऊपर या केंद्र सरकार में पीईएसबी समकक्ष या उससे ऊपर या राज्य सरकार में समकक्ष रैंक से सेवानिवृत्त होना चाहिए।

II) उनको पिछले दस वर्षों के दौरान किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में दंडित नहीं किया गया हो (अनुशासनात्मक कार्यवाही में कोई दंड नहीं या आपराधिक मामले में कोई अभियोजन नहीं)।

3. अन्य नियम एवं शर्तें :

उनको नियमों के अनुसार किसी अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए मामले सौंपे जाएंगे।

प्रत्येक पैनलबद्ध आईओ के कार्यनिष्पादन की समीक्षा एमएमटीसी लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के परामर्श से सीएमडी द्वारा , जब कभी आवश्यक हुआ, की जाएगी।

आईओ को देय मानदेय और अन्य भत्ते की दरें निम्नानुसार होंगी:

मदें	**वर्ग**		**प्रति केस दर (रुपये में)**	
मानदेय			सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए	सेवानिवृत्त पीएसयू अधिकारियों के लिए
	I	जहां आरोप पत्र में उल्लेखित गवाहों की संख्या 10 से अधिक है	मासिक मूल पेंशन के 90% के बराबर राशि।	अंतिम आहरित मूल वेतन के 45% के बराबर राशि।
	II	जहां आरोप पत्र में उल्लेखित गवाहों की संख्या 6-10 के बीच है	मासिक मूल पेंशन के 70% के बराबर राशि।	अंतिम आहरित मूल वेतन के 35% के बराबर राशि।
	III	जहां आरोप पत्र में उल्लेखित गवाहों की संख्या 6 से कम है	मासिक मूल पेंशन के 60% के बराबर राशि।	अंतिम आहरित मूल वेतन के 30% के बराबर राशि।
परिवहन भत्ता	प्रति केस 40,000/- रु. बाहरी यात्रा के लिए, हवाई यात्रा/रेलवे यात्रा के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्र श्रेणी के अनुसार की जाएगी शर्तों के अनुसार की जायेगी (सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार) दैनिक भत्ता (बाहरी यात्रा के लिए): अधिकारी को वह भत्ता मिलेगा जिसके वे सेवानिवृत्ति से ठीक पहले पात्र थे।			
सचिवीय		जहां आरोप पत्र में उल्लेखित		

सहायता भत्ता	I	गवाहों की संख्या 10 से अधिक है	रु. 40,000/-
	II	जहां आरोप पत्र में उल्लेखित गवाहों की संख्या 6-10 के बीच है	रु.30,000/-
	III	जहां आरोप पत्र में उल्लेखित गवाहों की संख्या 6 से कम है	रु.20,000/-
	एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा सामान्यतः सचिवीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। हालाँकि, ऐसा होने की स्थिति में सचिवीय सहायता भत्ता नहीं नही दिया जायेगा।		
सेवारत कर्मचारी	आहरित मासिक मूल वेतन के 15% के बराबर राशि।		

सामान्य अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में, प्रत्येक अतिरिक्त आरोपित अधिकारी (सीओ) के लिए आईओ को 5000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय देय होगा।

विविध:

एमएमटीसी लिमिटेड बिना कोई कारण बताए सेवानिवृत्त अधिकारियों के किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, एमएमटीसी लिमिटेड बिना कोई कारण बताए या नोटिस दिए पैनल के नियमों और शर्तों को बदलने/संशोधित करने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1. जांच अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किए गए सेवारत सरकारी कर्मचारियों और जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के मामले में मानदेय का अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) ऐसे मामले में जहां सेवारत अधिकारियों को आईओ/पीओ के रूप में नियुक्त किया जाता है, नियंत्रण विभाग या प्रशासनिक विभाग को आईओ/पीओ को उनके सामान्य कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए ताकि वह कार्यवाही को शीघ्रता से पूरा कर सकें।

2. सेवारत या सेवानिवृत्त जांच अधिकारी द्वारा भुगतान प्राप्त होने से पहले यह सुनिश्चित करना जांच अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि:

(क) सभी मामलों के रिकार्ड और जांच रिपोर्ट (स्याही से हस्ताक्षरित दो प्रतियां) उचित रूप से दस्तावेजित और व्यवस्थित करके अनुशासनात्मक प्राधिकारी के कार्यालय को सौंप दी गई हैं।

(ख) प्रत्येक आर्टिकल ऑफ चार्ज पर रिपोर्ट रिटर्न फाईडिंग, जिसकी जांच की गई है, तथा इसमें आरोपित अधिकारियों द्वारा वर्तमान नियमों और अनुदेशों के अनुसार उठाई गई प्रत्येक प्रक्रियागत आपत्ति, यदि कोई हो, का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(ग) जांच रिपोर्ट में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए और इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरती जानी चाहिए कि विभागीय जांच करने के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन एमएमटीसी ईसीडीए नियमों के प्रासंगिक नियमों/निर्देशों के अनुसार किया गया है, जिनके द्वारा दोषी अधिकारियों को नियंत्रित किया जाता है।

3. जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें: नामित जांच अधिकारी को निम्नलिखित अंडरटेकिंग देनी होगी:

i. वह जांच किए जाने वाले मामले में गवाह या शिकायतकर्ता नहीं है या दोषी अधिकारी का करीबी रिश्तेदार या ज्ञात मित्र नहीं है। प्रत्येक जांच के संबंध में जांच अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा और रिकॉर्ड में रखा जाएगा;

ii. जांच के संबंध में प्राप्त दस्तावेजों या एकत्रित की गई जानकारी/डेटा के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा तथा उसका उपयोग केवल उसे सौंपे गए मामले में जांच के लिए ही करेगा।

4. जांच के दौरान या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद ऐसे कोई भी दस्तावेज/सूचना या डेटा किसी को नहीं बताए जाएंगे। जांच अधिकारी के पास उपलब्ध सभी रिकॉर्ड, रिपोर्ट आदि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के समय उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को विधिवत वापस कर दिए जाएंगे।

5. जांच अधिकारी को अभिलेखों की उपलब्धता, स्टेशन/स्थान जहां कदाचार हुआ था, तथा गवाहों/पीओ आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी स्थान पर जांच कार्यवाही करनी चाहिए। आईओ/पीओ/सीओ द्वारा की जाने वाली यात्रा को न्यूनतम करने के लिए वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग का यथासंभव अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। कैडर नियंत्रक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे।

6. जांच अधिकारी एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा नामित प्राधिकारी के अनुमोदन से जांच करने के लिए यात्रा करेगा (अपरिहार्य परिस्थितियों में)।

7. जांच अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति की तिथि से 180 दिनों के भीतर जांच पूरी करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 180 दिनों से अधिक समय का विस्तार केवल प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित तरीके से दिया जा सकता है।

8. किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के संबंध में पत्र केवल एमएमटीसी लिमिटेड के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाएगा।

9. जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के बीच इस ईओआई से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर सीएमडी, एमएमटीसी द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों को बाध्यकारी होगा।

10. जांच की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्त जांच अधिकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विभागीय जांच अधिकारी को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपार्ट में विभागीय जांच को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा अर्थात 180 दिनों के भीतर हुई प्रगति का उल्लेख केंद्रीय सतर्कता आयोग के संलग्न निर्धारित प्रारूप किया जायेगा। रिपोर्ट की एक प्रति मुख्य सतर्कता अधिकारी को भी भेजी जाएगी।

11. इसके अलावा, एमएमटीसी लिमिटेड में जांच अधिकारी के रूप में पैनल की अवधि के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि पैनल में शामिल होने के लिए झूठे दस्तावेज/घोषणा प्रस्तुत की गई है, तो जांच अधिकारी के रूप में उनका पैनल बिना कोई कारण बताए तुरंत रद्द कर दिया जायेगा।

पैनल से हटाना:

आईओ के रूप में बने पैनल को पैनल प्राधिकारी अर्थात सीएमडी, एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा सीवीओ के परामर्श से निष्पादन संबंधी या अन्य विविध कारणों से किसी भी समय समाप्त जा सकता है। पैनल में शामिल आईओ को कारण बताओ नोटिस जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर इसका उत्तर देना होगा। कारण बताओ नोटिस अधिमानतः स्पीड पोस्ट और ई-मेल द्वारा जारी किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन ऑनलाइन जमा करने की तिथि: 05/09/2024

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 20/09/2024

निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन और निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत न किए गए आवेदन निरस्त किये जा सकते हैं।

आवेदन पत्र हार्ड कॉपी में अपर महाप्रबंधक (का.), कॉर्पोरेट कार्यालय, एमएमटीसी लिमिटेड को जमा करना होगा।

<u>शपथ-पत्र</u>

मैं जांच अधिकारी के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए इच्छुक हूं। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि मुझे किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही मामले में दंडित नहीं किया गया है (अनुशासनात्मक कार्यवाही में कोई दंड नहीं लगाया गया है या मुझ पर आपराधिक मामले में मुकदमा नहीं चलाया गया है)। मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही और प्रामाणिक हैं। मैं इस बात की शपथ लेता हूं कि यदि उपरोक्त घोषणा के विपरीत कोई प्रतिकूल बात पाई जाती है तो सूचीबद्ध होने के लिए मेरा आवेदन बिना कोई और अवसर दिए निरस्त कर दिया जायेगा है।

आवेदक के हस्ताक्षर:

नाम:

सेवानिवृत्ति के समय पदनाम:

स्थायी पता:

कर्मचारी संख्या :

(केवल सेवानिवृत्त एमएमटीसी लिमिटेड कर्मचारियों के लिए):

तिथि:

स्थान: